



ISSN: 2395-7852



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

Volume 11, Issue 1, January 2024



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

IMPACT FACTOR: 7.583

www.ijarasem.com | ijarasem@gmail.com | +91-9940572462 |

डॉ. अंबेडकर के विचारों की वर्तमान में उपादेयता

Dr. Agnidev

Assistant Professor, Department of Political Science, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan, India

सार: जब भी भारत के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों की बात हो और डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का जिक्र न हो, इसका अर्थ है कि हम विषय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। बिना बाबासाहेब को पढ़े हम भारत के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को नहीं समझ सकते। उनका जन्म जिस जाति में हुआ उसे हिन्दू वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे माना जाता था। इसलिए समानता के लिए उनको जन्म से ही संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने पूरी जिन्दगी सामाजिक संघर्ष किया एवं अपने समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। उनके सामाजिक विचारों में हमें दलित वंचित समाज के लिए सामाजिक न्याय को पाने की कोशिश झलकती है। वे एक ऐसा आदर्श समाज बनाना चाहते थे जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के विचारों पर आधारित हो। उनके अनुसार जाति व्यवस्था आदर्श समाज के निर्माण में घातक है।

I. परिचय

अर्थशास्त्र उनका पसंदीदा विषय था। वे विधार्थी जीवन से ही वे अर्थशास्त्र विषय से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढाई अर्थशास्त्र विषय में ही की है और वह भी दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों से हुई। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध उल्लेखनीय है, लेकिन डॉ. अंबेडकर को केवल दलितों एवं पिछड़ों के मसीहा तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उनके अर्थशास्त्रीय पक्ष को कभी उभारने का प्रयास नहीं किया गया। इस लेख में हम बाबासाहेब के आर्थिक पक्षों का विशेष रूप से चर्चा करेंगे।

डॉ. अंबेडकर की पहचान यदि एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं बन पाई तो इसका कारण यह है कि 1923 में भारत लौटने के बाद वे देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित हो गए और अर्थशास्त्र विषय तथा आर्थिक मुद्दों पर अपना शोध जारी नहीं रख पाए वे भारत आने के बाद भारत में व्याप्त सामाजिक कुरूपियों की समाप्ति के कार्य में लग गए। [1,2,3] सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए भी उनके कार्य को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष के साथ भी जुड़े हैं, जब वो महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात करते या दलितों को भी उद्यमी बनाने में सरकार की सहायता की बात करते हैं। उनका मानना था कि “आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। डॉ.

अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा (रुपए) की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया बल्कि इन मुद्दों से सम्बंधित समस्याओं के तर्किक एवं व्यावहारिक समाधान भी दिए।

20वीं सदी के शुरुआत में विश्व के लगभग सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने डॉ अंबेडकर के अर्थशास्त्र विषय की समझ तथा उनके योगदान को सराहा और उनके शोध पर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। अभी हाल के दिनों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री आमर्त्य सेन ने कहा “डॉ. अंबेडकर अर्थशास्त्र के विषय में मेरे पिता हैं”। सन 1917 में पीएचडी. शोध पूरा कर पाए, उनकी एमए. की थीसिस का विषय ‘प्राचीन भारतीय वाणिज्य’ (Ancient Indian Commerce) था, जो कि प्राचीन भारतीय वाणिज्य के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है, इस थीसिस में उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य की समस्याओं को रखा तथा उनके संभावित कारगर समाधान भी बताए।

बाबा साहब अंबेडकर की आर्थिक समस्याओं के प्रति व्यवहारिक सोच थी। वे मानते थे कि भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूमि-व्यवस्था के बदलाव में देरी है, इसका समाधान लोकतांत्रिक समाजवाद है जिससे आर्थिक कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायापलट संभव होगा, आर्थिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे अहस्तक्षेप (Laissez-faire) तथा वैज्ञानिक समाजवाद (Scientific Socialism) की निंदा करते थे।

डॉ. अंबेडकर ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पैदा करने वाले पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की पुरजोर वकालत की, सन 1923 में वे लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से डीएससी. (अर्थशास्त्र) की डिग्री प्राप्त की, अपने डीएससी. की थीसिस “The Problem of the Rupee – Its origin and its solution”। में उन्होंने रुपए के अवमूल्यन की समस्या पर शोध किया, जोकि उस समय के शोधों में सबसे व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण शोध था। बाबा साहब ने 1923 में वित्त आयोग की बात करते हुए कहा कि 5 वर्षों के अंतर पर वित्त आयोग की रिपोर्ट आनी चाहिए। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना का खाका तैयार करने और प्रस्तुत करने का काम

बाबा साहब अंबेडकर ने किया (1925 Hilton Young Commission) इसे रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने माना और अपनी स्थापना के 81 साल होने पर बाबा साहब के नाम पर कुछ सिक्के भी जारी किए।[4,5,6]

डॉ. अंबेडकर ने बड़े उद्योग लगाने की वकालत की, परंतु कृषि को समाज की रीढ़ की हड्डी भी माना. औद्योगिक क्रांति पर ज़ोर देने के साथ-साथ उनका यह भी कहना था की कृषि को नज़र अंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कृषि से ही देश की बढ़ती आबादी को भोजन और उद्योगों को कच्चा माल मिलता है।

जब देश का तेज़ी से विकास होगा तब कृषि वह नींव होगी, जिस पर आधुनिक भारत की इमारत खड़ी की जाएगी, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंबेडकर ने कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की वकालत की. अंबेडकर कृषि योग्य भूमि के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख पैरोकर थे. डॉ. अंबेडकर राज्य को ये दायित्व सौंपते है कि वह लोगों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करे कि उससे उत्पादकता का सर्वोच्च बिंदु हासिल हो जाए और निजी उद्योग के लिए एक भी मांग बंद न हो और संपदा के समान वितरण के लिए भी उपबंध किए जाएं. नियोजित ढंग से कृषि के क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व प्रस्तावित है जहां सामूहिक तरीके से खेती-बाड़ी की जाए तथा उद्योगों के क्षेत्र में राजकीय समाजवाद रूपांतरित रूप भी प्रस्तावित है. इसमें कृषि एवं उद्योग के लिए आवश्यक पूंजी सुलभ कराने की व्यवस्था राज्य के कंधों पर स्पष्ट डाली गई है.

डॉ. अंबेडकर द्वारा किए गए शोध आज के समय के लिए भी उपयुक्त हैं, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, असमानता (व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय), विदेशी मुद्राओं के मुकावले भारतीय मुद्रा (रुपए) का अवमूल्यन आदि-आदि से सम्बंधित गंभीर विमर्श डॉ. अंबेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जा सकता है.

डॉ. अंबेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक न्यायसंगत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता हो, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो, लोगों का आर्थिक शोषण न हो तथा सामाजिक न्याय हो, सामान्यतः ऐसा लग सकता है कि डॉ. अंबेडकर ने यदि केवल अर्थशास्त्र को ही अपना करियर बनाया होता तो संभवतः वे अपने समय के दुनिया के दस प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में से एक होते. लेकिन डॉ. अंबेडकर का योगदान किसी भी अर्थशास्त्री से कहीं ज्यादा है, डॉ. अंबेडकर ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और शोधों का भारतीय समाज के संदर्भ में व्यावहारिक उपयोग किया. शोध का जब तक अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) न हो तब तक उसकी सामाजिक उपयोगिता संदिग्ध है, भारतीय समाज व्यवस्था को आमूल बदलकर डॉ. अंबेडकर ने अर्थशास्त्र के उद्देश्यों को वास्तविक अर्थ में साकार किया, उनका यह अविस्मरणीय योगदान उनकी सशक्त सामाजिक-आर्थिक संवेदना और सामाजिक-आर्थिक गहन वैचारिकी का परिणाम है.

II. विचार-विमर्श

बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने संविधान सभा के भाषण में कहा था – “महोदय, संविधान सभा के कार्य पर नजर डालते हुए नौ दिसंबर, 1946 को हुई उसकी पहली बैठक के बाद अब दो वर्ष, ग्यारह महीने और सत्रह दिन हो जाएंगे। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए यह आश्चर्य से भी परे था। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है, यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह [7,8,9] अच्छा साबित हो सकता है, यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों”

बाबा साहब ने संविधान सभा में दिये गये भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। महात्मा गांधी जी और बाबासाहेब दोनों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक निर्माण पर बल दिया। बाबासाहेब का मानना था की राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ-२ हमें सामाजिक प्रजातंत्र की भी आवश्यकता है. वह कहते थे कि सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में अपनाया जाता है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है, कुछ को विकास के अवसर और अन्य को पतन के। जिस समाजवाद की बात बाबासाहेब अपने भाषण और वक्तव्यों में करते हैं उसे उनके कथित उत्तराधिकारियों ने सिर्फ एक वर्ग विशेष का समाजवाद बना कर आज राजनीतिक स्थायित्व की खोज में हैं। वे मानते थे कि यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इन कठिनाइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा एक राष्ट्र हो। आइए उनकी जन्मतिथि पर समाज के विभिन्न पहलुओं पर उनके विचारों से मुखातिब होते हैं –

सामाजिक समानता को लेकर बाबासाहेब

डॉ. अंबेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए। वे मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता है, इसके लिए कई पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। आज जब विश्व एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व में असमानता की घटनाएँ भी देखने को मिल रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि असमानता प्राकृतिक है, जिसके

चलते व्यक्ति रंग, रूप, लम्बाई तथा बुद्धिमत्ता आदि में एक-दूसरे से भिन्न होता है। लेकिन समस्या मानव द्वारा बनायी गई असमानता से है, जिसके तहत एक वर्ग, रंग व जाति का व्यक्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझ संसाधनों पर अपना अधिकार जमाता है। यूएनओ द्वारा इस संदर्भ में प्रति वर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो आज भी समाज में व्याप्त असमानता को प्रकट करता है। भारत में इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात कही गई है। यह समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध करा सके, इसके लिए शोषित, दबे-कुचलों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अम्बेडकर के समानता के विचार न सिर्फ उन्हें भारत के संदर्भ में, बल्कि विश्व के संदर्भ में भी प्रासंगिक बनाते हैं।

महिलाओं के संबंध में बाबासाहेब

डॉ अम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री-पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिमंत्री रहते हुए 'हिंदू कोड बिल' संसद में प्रस्तुत किया और हिन्दू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिन्दू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यावहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है, वहीं आज भी महिलाएँ उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव हिंसा, समान कार्य के लिए असमान वेतन, दहेज उत्पीड़न और संपत्ति के अधिकार ना मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता का प्रश्न पुनः उठाया गया है। उसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थन किया था।

शिक्षा और अम्बेडकर

अम्बेडकर शिक्षा के महत्व से भली-भाँति परिचित थे। दरअसल अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें अपने स्कूली जीवन में अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ विकसित करती है कि वह अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार हैं। उन्होंने एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी, जहाँ सम्पूर्ण समाज शिक्षित हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडम्बर से दूर करती है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जनकल्याण की भावना विकसित करने का होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण में भी योगदान दे सके।

उल्लेखनीय है कि [10,11,12]डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा संबंधित यह विचार आज शिक्षा प्रणाली के आदर्श रूप माने जाते हैं। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएँ बाधक न बन सके, इसके लिए मूलअधिकार के अनुच्छेद 21-A के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है।

आर्थिक क्षेत्र

अम्बेडकर ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख भारत में छोटी जोत और उनके उपचार (Small Holdings in India and their Remedies) में भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाए तो बड़ी और छोटी जोतों का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उनके एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (The Evolution of Provincial Finance in British India) की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उन्होंने इस शोध में देश के विकास के लिए एक सहज कर प्रणाली पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकारी राजकोषीय व्यवस्था को स्वतंत्र कर देने का विचार दिया। भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दों व दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थानों को स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया उनकी स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का अहम योगदान रहा।

बाबा साहेब के जीवन पर गौर करें तो पता चलता है कि उनके सामाजिक चिन्तन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काफी संभावना झलकती है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व के तत्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हों। बाबासाहेब जिस प्रकार से आज प्रासंगिक होते जा रहे हैं वह शायद ही पहले कभी दृष्टिगोचर हुआ हो। आज हर एक आंदोलन में आप प्रायः बाबासाहेब की प्रतिमा के साथ संचालित होते हुए देख सकते हैं। क्योंकि इतने सालों बाद बाबासाहेब का साहित्य और उनका दर्शन जनमानस तक आसानी से पहुँच रहे हैं। उनके विचार आज किसी न किसी माध्यम से जनता तक सुलभ हो रहे हैं। बाबासाहेब की दूरदर्शिता भी उनको आज के समय में प्रासंगिकता प्रदान करती है। अगर इनके विचारों को अमल में लायें तो समाज की ज्यादातर समस्याएँ जैसे वर्ण, जाति, लिंग, आर्थिक, राजनैतिक व

धार्मिक सभी पहलुओं पर पैनी नजर रखी जा सकती है। साथ ही न्यू इंडिया के लिए एक नया मॉडल व डिजाइन भी तैयार किया जा सकता है।

III. परिणाम

डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित (हिंदू महार) परिवार में 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत (मध्य प्रदेश) के एक छोटे से शहर महु में हुआ था।

उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और साथ ही विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किये।

डॉ. अंबेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, विद्वान और विचारक थे।
योगदान

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और संवैधानिक क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।

राजनीति में

वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे, जिसमें धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बगैर सभी को समान राजनीतिक अवसर प्रदान किया जाए।

उनका विश्वास था कि बिना आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर किए, वास्तविक जनतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है।^[13,14,15]

लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में 'नैतिकता' और 'सामाजिकता' दो प्रमुख मूल्यों को शामिल करना चाहिए।

वर्तमान में राजनैतिक नैतिकता के मूल्य खत्म होकर केवल वोट बैंक की राजनीति बची है, ऐसे में इन मूल्यों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

9 जुलाई 1942 को डॉ. अंबेडकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री बने।

संविधान निर्माण में भूमिका

वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे।

स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए उन्हें वर्ष 1947 में मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

स्वतंत्रता के बाद वह भारत के पहले कानून मंत्री बने।

आर्थिक क्षेत्र में

वर्तमान समय में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आय एवं संपत्ति में व्यापक असमानता इत्यादि समस्याएँ विद्यमान हैं, ऐसे में डॉ. अंबेडकर द्वारा दिए आर्थिक विचार काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

“रुपये की समस्या : इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान” नामक पुस्तक में डॉ. अंबेडकर ने 1800 से 1893 के समयावधि के दौरान, विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय रुपया के विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी व्याख्या की।

“भारत में छोटे जोत और उनके उपाय” नामक पुस्तक में डॉ. अंबेडकर ने कृषि से संबंधित कई समस्याओं के निवारण करने की विधि बताई।

“ब्रिटिशकाल में प्रांतीय वित्त का विकास” नामक शोध में देश के विकास के लिए एक सहज कर प्रणाली पर बल दिया।^[16,17,18]

समानता

डॉ. अंबेडकर के अनुसार राज्य को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि समानता का अधिकार, धर्म और जाति से ऊपर है।

प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए और यह किसी भी समाज की प्रथम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

डॉ. अंबेडकर के इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया।

सामाजिक क्षेत्र

डॉ. अंबेडकर ने भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथा तथा अस्पृश्यता का विरोध किया।

निचली जातियों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि “कोई भी आपकी शिकायतों को दूर नहीं कर सकता है और आप उन्हें तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि आपके हाथों में राजनीतिक शक्ति न हो”

उन्होंने निचली जातियों को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में अलग निर्वाचक मंडल का सुझाव दिया।

भारतीय संविधान [19,20,21]के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं से संबंधित विचार

डॉ. अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री-पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया।

वह हमेशा महिलाओं को समानता, शिक्षा, सम्मान और अधिकार प्रदान करने की बात करते थे।

यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिमंत्री रहते हुए 'हिंदू कोड बिल' संसद में प्रस्तुत किया।

इस विधेयक के माध्यम से उन्होंने हिन्दू महिलाओं के लिए व्यापक प्रावधान करने का सुझाव दिया। हालांकि बाद में जवाहरलाल नेहरू के साथ कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने संसद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया।

धर्म

धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण तार्किक एवं विचारपूर्ण है।

विभिन्न धर्मों की तीखी आलोचना के कारण कुछ लोग उन्हें धर्म के खिलाफ मानते थे किंतु वे आध्यात्मिक और सार्वजनिक जीवन में धर्म के महत्व के प्रति सचेत थे।

अन्य धर्मों की अपेक्षा वह बौद्ध धर्म को अधिक श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि इस धर्म में जाति आधारित भेद नहीं था।

13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में अपने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की और कहा, "हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा "

भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में मतभेद

जातिप्रथा और छुआ-छूत के मुद्दों पर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच मतभेद विद्यमान थे।

गांधी जी का मानना था कि जाति व्यवस्था से केवल छुआ-छूत जैसे अभिशाप को बाहर करना चाहिए, तो वहीं अम्बेडकर पूरी जाति व्यवस्था [22,23] को खत्म करने के पक्ष में थे।

इसी मतभेद को लेकर अंबेडकर ने क्षेत्रीय विधान सभाओं और केंद्रीय विधान परिषद में एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की।

वर्ष 1932 में पूना पैक्ट (महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य) हुआ, जिसमें अलग निर्वाचक मंडल के बजाय दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया।

मृत्यु

6 दिसंबर 1956 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गयी।

सम्मान

वर्ष 1990 में, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न (भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान) से सम्मानित किया गया।

14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 तक की अवधि को बाबासाहेब की स्मृति में 'सामाजिक न्याय वर्ष' के रूप में मनाया गया।

कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

जनता (साप्ताहिक), 1930

एनीहिलेशन ऑफ कास्ट्स, 1936

बुद्ध या कार्ल मार्क्स, 1956

पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ़ इण्डिया / थॉट्स ऑन पाकिस्तान

हू वेर दी शूद्राज़ ?

द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स

स्टेट्स एंड माइनोंरिटीज

वैटिंग फॉर वीज़ा (आत्मकथा)

IV. निष्कर्ष

कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ

वर्ष 1920 में मूक नायक नामक पाक्षिक एक समाचार पत्र शुरू किया।

इसके अंतर्गत उन्होंने स्वराज, अस्पृश्यों की शिक्षा और अस्पृश्यता की बुराइयों जैसे मामलों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा (आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन) की स्थापना की, जिसमें उन्होंने दलितों में शिक्षा और जागरूकता फैलाने पर जोर दिया।

वर्ष 1930 में नासिक में अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया।

वर्ष 1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए।

वर्ष 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। [23]



संदर्भ

1. "BR Ambedkar's anniversary: His quotes on gender, politics and untouchability". 6 दिसंबर 2017. मूल से 23 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
2. ↑ "Rescuing Ambedkar from pure Dalitism: He would've been India's best Prime Minister". Firstpost. मूल से 25 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
3. ↑ "Do we really respect Dr Ambedkar or is it mere lip service?". DNA India. 6 दिसंबर 2014. मूल से 17 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
4. ↑ "Ambedkar in Modi's quiver, says Gandhis insulted father of Indian Constitution". Deccan Chronicle. 15 अप्रैल 2014. मूल से 16 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
5. ↑ "Home for Ambedkar 'house' - Maharashtra to buy UK bungalow where Dalit icon lived". www.telegraphindia.com. मूल से 5 नवंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
6. ↑ Desk, FPJ Web (11 अप्रैल 2016). "Milestones achieved by Dr. Babasaheb Ambedkar". मूल से 6 अक्टूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
7. ↑ "Archives released by LSE reveal BR Ambedkar's time as a scholar". hindustantimes.com/. 9 फरवरी 2016. मूल से 23 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
8. ↑ "Zee जानकारी : किसने रची थी डॉ॰ आम्बेडकर के बारे में भ्रम फैलाने की साजिश". Zee News Hindi. 15 अप्रैल 2016. मूल से 8 जनवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
9. ↑ http://ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02est/12_6_2015_JCA-2-19032015.pdf Archived 2015-04-05 at the वेबैक मशीन Ambedkar Jayanti from ccis.nic.in on 19th March 2015
10. ↑ Ghildiyal, Subodh (29 मई 2018). "Bhimrao Ambedkar cult spreading across world". मूल से 20 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 जुलाई 2019 – वाया The Economic Times.
11. ↑ "Bhim: Cult of Bhim spreading across world | India News - Times of India". The Times of India. मूल से 3 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 जुलाई 2019.
12. ↑ "यहां देखें भीमराव आंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य". प्रभात खबर. 6 दिसंबर 2023.
13. ↑ Jaffrelot, Christophe (2005). Dr. Ambedkar and Untouchability: Fighting the Indian Caste System. New York: Columbia University Press. पृ॰ 2. आई॰एस॰बी॰एन॰ 0-231-13602-1.
14. ↑ Pritchett, Frances. "In the 1890s" (PHP). मूल से 7 सितंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 अगस्त 2006.
15. ↑ Menon, Dilip M. "What's in a name?: Those who invoke Ambedkar are complicit in a forgetting, much like Gandhi". Scroll.in. मूल से 13 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
16. ↑ "Mahar". Encyclopædia Britannica. britannica.com. मूल से 30 नवम्बर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जनवरी 2012.
17. ↑ Ahuja, M. L. (2007). "Babasaheb Ambedkar". Eminent Indians : administrators and political thinkers. New Delhi: Rupa. पृ॰ 1922–1923. आई॰एस॰बी॰एन॰ 8129111071. मूल से 23 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 जुलाई 2013.
18. ↑ "आम्बेडकर गुरुजींचं कुटुंब जपतंय सामाजिक वसा, कुटुंबानं सांभाळल्या 'त्या' आठवणी". divyamarathi. 26 दिसंबर 2016. मूल से 28 मई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
19. ↑ Pritchett, Frances. "In the 1900s" (PHP). मूल से 6 जनवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 जनवरी 2012.
20. ↑ Pritchett, Frances. "In the 1900s" (PHP). मूल से 6 जनवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 अगस्त 2006.
21. ↑ "आधुनिक शिक्षा के हिमायती डॉ॰ भीमराव आम्बेडकर". Prabhat Khabar - Hindi News. अभिगमन तिथि 2020-12-06.
22. ↑ Pritchett, Frances. "In the 1910s" (PHP). मूल से 23 नवम्बर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 जनवरी 2012.
23. ↑ "Bhimrao Ambedkar". columbia.edu. मूल से 10 फरवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 अक्टूबर 2009.



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com